कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा, जिला–राजनांदगांव

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्र/451/MGNREGA/संविदा भर्ती/2011, राजनांदगांव, दिनांक 01/08/2011

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर के पत्र क्र. /778/प.ग्रा.वि.वि./रायपुर दिनांक 02.04.2011 एवं पत्र क्र. /807/प.ग्रा.वि.वि./22/2011 रायपुर दिनांक 06.04.2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शायें विवरण अनुसार रिक्त पद हेतु दिनांक 29/02/2012 तक की अवधि के लिए **संविदा (निशचित वेतनमान पर)** नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित योग्यताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15/8/2011 को सायं 5.30 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किये जाते हैः–

पदों का विवरणः– (बैंकलॉग सहित)

क्र.	पद का नाम	पुनरीक्षित संविदा एक मुश्त वेतन (प्रतिमाह)	अनारक्षित					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछडा वर्ग					योग				
			मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.सै	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.सै	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.सै	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.सै	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.सै	योग
1	सहायक परियोजना अधिकारी	18840	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	सहायक प्रचार–प्रसार अधिकारी	13700	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3	कार्यक्रम अधिकारी	13700	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
4	सहायक प्रोगामर	12740	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	6
5	तकनीकी सहायक	11820	10	6	2	1	19	3	1	0	0	4	8	4	1	1	14	4	2	0	0	6	25	13	3	2	43
6	लेखापाल	8080	6	4	1	1	12	1	0	0	0	1	5	2	0	0	7	3	1	0	0	4	15	7	1	1	24
7	सहायक ग्रेड–दो	8080	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
8	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	8080	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	7	3	0	0	10
9	सहायक ग्रेड–तीन	6720	5	3	1	1	10	2	1	0	0	3	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	12	6	1	1	20
10	भृत्य	5530	3	2	0	0	5	1	1	0	0	2	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	7	5	0	0	12
			33	17	4	3	57	10	5	0	0	15	23	10	1	1	35	11	5	0	0	16	77	37	5	4	123

क्रमश 2 पर..............

शैक्षणिक योग्यताः–

1. **सहायक परियोजना अधिकारी हेतु–**
   (अ) प्रथम श्रेणी में स्नाकोत्तर

2. **सहायक प्रचार–प्रसार अधिकारी–**
   (अ) प्रथम श्रेणी स्नातक (अजा. तथा अजजा. महिला हेतु 50 प्रतिशत) एवं पत्रकारिता में 01 वर्षीय डिप्लोमा।

3. **कार्यक्रम अधिकारी–**
   (अ) प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई./गणित अथवा भौतिक विषय में स्नाकोत्तर।

4. **सहायक प्रोग्रामर–**
   (अ) बी.ई. कम्प्यूटर साईंस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस एवं डॉट नेट टेक्नोलाजी/जावा/एम. एस. एस. क्यू.एल./ओरेकल का ज्ञान।

5. **तकनीकी सहायक–**
   (अ) बी.ई. (किसी भी ब्रांच से)/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी)
   (ब) पॉलीटेकनीक डिप्लोमा (स) एम.एस.सी. (भौतिक/गणित) (द) बी.एस.सी. (गणित)

6. **लेखापाल–**
   (अ) 55 प्रतिशत में बी.कॉम. (अजा. एवं अजजा. हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम.) उत्तीर्ण।

7. **सहायक ग्रेड–02 –**
   (अ) प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण।

8. **डाटा एण्ट्री आपरेटर–**
   (अ) कक्षा 12वी (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
   (ब) डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रेाग्रामिग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा।
   (स) कम्प्यूटर में हिन्दी एव अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

9. **सहायक ग्रेड–03 –**
   (अ) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भर्ती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता।
   (ब) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
   (स) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

10. **भृत्य–**
    (अ) पांचवी पास।

क्रमश 3 पर...............

अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी–

1. छ.ग.शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यार्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
3. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2004 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
4. **संविदा नियुक्ति दिनांक 29/02/2012 तक के लिये होगी ।** तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षो की सहमति से कार्यावधि बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है ।
5. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताएं कभी भी समाप्त की जा सकती है ।
6. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. **आयु सीमा** :– आवेदक की आयु **दिनांक 01.06.2011** की स्थिति में **न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छुट लागू होगी।**
9. अजा/अजजा/पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
10. **चयन प्रक्रिया –**

    विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए आवेदक का चयन निर्धारित अंक योजना के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा। जिन पदों के लिये कम्प्यूटर/टाइपिंग योग्यता निर्धारित है, उन्हे प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको को शैक्षणिक योग्यता के अंको के साथ सम्मिलित कर मेरिट अनुसार चयन किया जावेगा।
11. आवेदन निर्धारित प्रारुप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये । वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को पृष्ठांकित कर उसे सूची सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे ।
12. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ शासन/विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की कापी जमा करना होगा।
13. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
14. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है को स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 खाली लिफाफा भी संलग्न करें।
17. आवेदन पत्र **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही** स्वीकार किये जावेंगे। अतः आवेदक को आवेदन पत्र इस तरह प्रेषित करना चाहिए कि अंतिम तिथि **दिनांक 15/8 /2011 को सायं 5.30 बजे तक** कार्यालयीन समय में जिला पंचायत, कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। **इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।**
18. नियोक्ता के साथ करार पत्र (**संविदा पत्र**) निष्पादित करना होगा ।
19. रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कलेक्टर एवं,
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राजनांदगांव (छ.ग.)